राजस्थान–सरकार

न्यायालय जिला कलक्टर, डूंगरपुर (राजस्थान)

(पीठासीन अधिकारी–राजेन्द्र भट्ट आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्याः– 01/2017

पंजीयन दिनांक :– 06.03.2017

निर्णय दिनांक :– 28.03.2018

श्री हीरालाल पुत्र श्री खातरा जी रोत मीणा निवासी गरियाता

प्रार्थी.....

बनाम

श्री सरकार जरिये जिला रसद अधिकारी डूंगरपुर

विपक्षी.....

अपील अन्तर्गत धारा 22 राजस्थान खाद्यान्न एवं आवश्यक पदार्थो (वितरण का विनियमन) आदेश 1978 के तहत जिला रसद अधिकारी डूंगरपुर के प्र.सं. 179/16 में पारित आदेश दिनांक 01.02.2017 को निरस्त करने बाबत

उपस्थितः– 1. श्री लक्ष्मीलाल जैन एडवोकेट प्राथी के ओर से
2. श्री पेरोकार सरकार – प्रर्वतन निरीक्षक, जिला रसद कार्यालय डूंगरपुर

–: निर्णय :–

यह अपील प्रार्थी की ओर से विरूद्व विपक्षी इस आशय की पेश की है कि विपक्षी ने प्रार्थी की गरियता में उचित मूल्य की दूकान में खाद्यान व केरोसीन बाबत अनियमितता पाई जाने से प्रकरण संख्या 179/2016 निर्णय दिनांक 01.02.2017 द्वारा प्रार्थी का प्राधिकार संख्या 60/2007 को विपक्षी द्वारा निरस्त करने से असन्तुष्ट होकर आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत उक्त प्राधिकार पत्र संख्या 60/2007 आदेश दिनांक 01.02.2017 को अपास्त कराने हेतु पेश की है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी की ग्राम गरियता में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की उचित मूल्य की दूकान है जिसका प्राधिकार पत्र संख्या 60/2007 है। विपक्षी दिनांक 24.01.2016 को 2.30 पी.एम. पर उक्त उचित मूल्य की दूकान की जांच हेतु मौके पर पंहुचने पर राशन दूकान बंद पाई गई तथा सूचना पर प्रार्थी नहीं आया व उक्त दूकान का निरीक्षण नहीं करवाया। उचित मूल्य की दूकान के बाहर सात ड्रम केरोसीन का स्टॉक पाया गया। ऑन लाईन रिकार्ड के मुताबिक प्रार्थी ने रेकार्ड पर 110 किग्रा गेंहू वितरण किया। प्रार्थी द्वारा केरोसीन का वितरण नहीं किया जिस पर विपक्षी द्वारा दिनांक 25.11.2016 को प्रार्थी का प्राधिकार पत्र अग्रीम आदेश तक निलम्बित कर दिया गया। साथ ही प्रवर्तन निरीक्षक ने उक्त उचित मूल्य की दूकान की जांच कर दिनांक 08.12.2016 को विपक्षी को रिपोर्ट पेश की गई। विपक्षी द्वारा दिनांक 01.02.2017 को प्रार्थी का उक्त उचित मूल्य की दुकान का प्राधिकार निरस्त कर दिया

गया है। प्रार्थी द्वारा प्रवर्तन निरीक्षक को जांच के दौरान पूर्ण सहयोग दिया तथा उन पर लगाये गये आरोपों का प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जबाव का अवलोकन विपक्षी द्वारा किया गया होता तो अनियमितता प्रकट नहीं होती। प्रार्थी ने यह भी उल्लेख किया है कि उपभोक्ता सप्ताह समयावधि के पूर्व उनकी पत्नी की अचनाक तबीयत बिगड जाने से ईलाज हेतु बाहर जाना पडा था, जिसकी सूचना ग्राम पंचायत के सरपंच को दी गई थी। उक्त स्थिति में राशन दूकान खोलना सम्भव नहीं हो पाया। प्रार्थी द्वारा प्रति राशन 2–5 लीटर केरोसीन का वितरण किया जाता है, किन्तु कुछ उपभोक्ताओं के पास पर्याप्त राशि नहीं होने से दो लीटर केरोसीन ले जाना अपील मीमों में बताया गया है जिस पर विपक्षी ने कोई ध्यान नहीं देकर प्राधिकार पत्र निरस्ती में भारी भूल की है। साथ ही राशनधारियों के पास पर्याप्त राशि नहीं होने से गेंहू बाद में ले जाना भी प्रार्थी ने बताया है। उक्त स्थिति में प्रार्थी द्वारा राशन के गेंहू व केरोसीन के वितरण में किसी प्रकार की अनियमितता नहीं की है। विपक्षी द्वारा अमानत राशि में से कुछ अंश जप्त कर भी न्याय किया जा सकता था। विपक्षी द्वारा प्रार्थी की पूर्ण अमानत राशि को जप्त कर अनुज्ञा पत्र निरस्त करना न्यायासंगत नहीं है। उक्त तथ्यों के आधार पर उचित मूल्य की दूकान का प्राधिकार पत्र 60/2007 को विपक्षी द्वारा दिनांक 01.02.2017 को किये गये निरस्ती आदेश को अपास्त करने प्रार्थी ने अनुरोध किया है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु जरिये नोटिस तलब किया। विपक्षी ने प्रकरण में जबाव प्रस्तुत नहीं कर तथ्य बहस में प्रकट करना बताया तथा इस प्रकरण से सम्बन्धित विपक्षी ने उनके कार्यालय की मूल पत्रावली की छाया प्रति पेश की जो शामील पत्रवाली की गई।

प्रकरण में पक्षकारों की बहस समायत की गई। वकील प्रार्थी ने बहस में अपील मीमों के तथ्यों को दोहराया। विभागीय पेरोकार ने बहस में बताया कि उपभोक्ता सप्ताह के पूर्व ही प्रार्थी की पत्नी का स्वास्थ्य बिगड जानें से ईलाज हेतु बाहर जाने का कारण राशन की दूकान बंद रखने की सूचना नियमानुसार जिला रसद कार्यालय को नहीं देकर प्रार्थी ने नियम विपरित मनमानी की है। दिनांक 01.11.2016 से 25.11.2016 तक प्रार्थी ने 2 उपभोक्ता को गेंहू वितरण कर पात्र लाभार्थियों को गेंहू से वंचित रखा। केरोसीन के 7 ड्रम अवितरित करना पाया गया तथा प्रार्थी ने जांच में असहयोग किया है। स्टॉक के भौतिक सत्यापन में माह सितम्बर 2016 से नवम्बर 2016 तक पोश मशीन से वितरण के पश्चात् शेष 75.83 क्विंटल गेंहू नहीं पाया गया, जिसका दुरूपयोग किया गया है। उक्त तथ्यों के आधार पर प्रार्थी की अपील खारीज करने हेतु विपक्षी (विभागीय पेरोकार) ने अनुरोध किया। सरपंच ग्राम पंचायत गरियता ने पत्र दिनांक 07.03.2018 पेश किया गया। तदनुसार इन्टरनेट समस्या के कारण प्रार्थी ने ऑफलाईन गेंहू का राशनधारियों को वितरण किया गया, जिसके कारण 70 क्विंटल गेंहू स्टॉक में पाये गये। प्रार्थी द्वारा अन्य राशन विक्रेता के साथ रहकर उक्त आरोपित गबन के गेंहू की भरपाई कर सभी उपभोक्ता को राशन वितरण कर दिया गया है अर्थात् उक्त राशन खाद्यान्न की भरपाई

ऑन लाईन कर दी गई है जिससे प्रार्थी को बहाल किया जावें। सरपंच ग्राम पंचायत की उक्त रिपोर्ट पर प्रवर्तन निरीक्षक (विभागीय पेरोकार) की टिप्पणी ली गई, तदनुसार प्रार्थी द्वारा अप्रेल 2017 से दिसम्बर 2017 के मध्य 75 क्विंटल गेंहू उपलब्ध करा उनके द्वारा पोश मशीन से वितरण करा दिया गया है। पोश मशीन के वितरण स्टेटमेन्ट से भी उक्त तथ्य की पुष्टि हो रही है। सरपंच की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी का व्यवहार अच्छा होकर चरित्र को भी अच्छा बताया। वकील प्रार्थी ने सरपंच ग्राम पंचायत की रिपोर्ट एवं विभागीय पेरोकार की रिपोर्ट के अनुसार अपील प्रार्थी स्वीकार करने का अनुरोध किया।

हमारे द्वारा पक्षकारों की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली एवं उस पर उपलब्ध दस्तावेजों का गहनता से अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन व बहस पर मनन करने पर स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा इन्टरनेट सेवा बाधित होने से दूर–दराज से आये हुए राशनधारियों को वापस न आना पडे तथा इनसे लडाई–झगडे से बचने हेतु ऑफ लाईन गेंहू का वितरण किया गया। जिसके कारण 75 क्विंटल गेंहू का अन्तर आया है जो प्रार्थी द्वारा भरपाई कर निलम्बन काल में अन्य राशन डीलर को वितरण व्यवस्था हेतु दी गई, राशन दूकान के साथ पोश मशीन द्वारा 75 क्विंटल गेंहू का उपभोक्ता को वितरण कर दिया हैं, जिसकी पुष्टि प्रवर्तन निरीक्षक (विभागीय पेरोकार) की रिपोर्ट दिनांक 20.03.2018 से होती है। इससे स्पष्ट है कि प्रार्थी की राशन खाद्यान्न में किसी प्रकार की गबन करने की चेष्टा नहीं थी। जिला रसद अधिकारी द्वारा औचक निरीक्षण के दौरान राशन दूकान बंद मिलने बाबत प्रार्थी की पत्नी का स्वास्थ्य खराब होने के कारण ईलाज हेतु बाहर जाना है। जिसकी सूचना सरपंच ग्राम पंचायत गरियता को दी गई थी। सरपंच ग्राम पंचायत की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी का व्यवहार एवं उनका चरित्र अच्छा है तथा किसी प्रकार की शिकायत नहीं होना की पुष्टि होती है।

उक्त तथ्यों के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर जिला रसद अधिकारी डूंगरपुर द्वारा जारी प्राधिकार संख्या 60/2007 आदेश दिनांक 01.02.2017 को निरस्त किये निर्णय को अपीलार्थी को इसकी पुनरावृति न होने की चेतावनी के साथ अपास्त करने का आदेश दिया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 28.03.2018 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर डूंगरपुर (राजस्थान)

(राजेन्द्र भट्ट)
जिला कलक्टर
डूंगरपुर